

स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत खण्डपीठ कं0-1 बालोद, जिला बालोद (छ0ग0)

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम) की धारा 19 के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद द्वारा आयोजित )  
क्लेम प्रकरण कं0-3/2018.

नारायणसिंह साहू आ. स्व. बिशालराम साहू, उम्र-45 वर्ष,  
साकिन-ग्राम हीरापुर, तह. व जिला-बालोद (छ.ग.) ———आवेदक.

विरुद्ध

1. गिरधरलाल साहू आ. स्व. बिशालराम साहू, उम्र-40 वर्ष,  
साकिन-ग्राम हीरापुर, तह. व जिला-बालोद (छ.ग.)
2. ध्रुव प्रहलाद आ. स्व. बिशालराम साहू, उम्र-35 वर्ष,  
साकिन-ग्राम हीरापुर, तह. व जिला-बालोद (छ.ग.)
3. द ओरिएंटल इं.कं.लि.,  
राजेन्द्र पार्क के पास, जी.ई.रोड दुर्ग (छ.ग.) ———अनावेदकगण.

खण्डपीठ कं0-...1.....की कार्यवाही :

न्यायिक अधिकारी :- श्री विजय कुमार मिंज, प्रथम अपर जिला/सत्र  
न्यायाधीश, पीठासीन अधिकारी, लोक-अदालत  
खण्डपीठ कमांक-1, बालोद.

सदस्यों का नाम: (1). श्री रविन्द्र दुबे, अधिवक्ता,  
(2). श्री रमेश कुमार शर्मा.

//अधिनिर्णय//

दिनांक:-27-5-2018.

पक्षकारों के बीच विवाद लोक अदालत के अवधारण के लिए निर्दिष्ट किए गए हैं और पक्षकारों ने मामले/विषय पर समझौता/परिनिर्धारण कर लिया है, परिनिर्धारण के निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

आवेदक को अनावेदक कमांक-3 बीमा कंपनी 2,25,000/- रुपये (अक्षरी दो लाख पच्चीस हजार रुपये) आज दिनांक से 1 माह के भीतर अदा करेगा।

प्रतिकर की राशि जमा होने पर आवेदक को 50 प्रतिशत राशि एकाउंट पेयी नगद भुगतान किया जाये तथा शेष 50 प्रतिशत राशि उसके नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि खाते में 5 वर्ष की अवधि के लिये जमा हो, जो बीच में अधिकरण की अनुमति के बिना देय नहीं होगा तथा अवधि समाप्ति पश्चात् आवेदक उक्त राशि सीधे बैंक से प्राप्त कर सकता है ।

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि न्यायालय की फीस, यदि कोई उनमें से किसी द्वारा संदत्त की गई है तो यह वापस की जाएगी ।

न्यायिक अधिकारी

सदस्य


सदस्य

(प्राधिकरण/समिति की मुद्रा)

P.T.O

पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं के नाम व हस्ताक्षर:-

क्र०	वादी / अपीलार्थी / आवेदकगण		प्रतिवादी / उत्तरवादी / अनावेदकगण	
	नाम	हस्ताक्षर	नाम	हस्ताक्षर
<u>अधिवक्ता के नाम व हस्ताक्षर:—</u>			<u>अधिवक्ता के नाम व हस्ताक्षर:—</u>	



पीठासीन अधिकारी,  
लोक अदालत खण्डपीठ कं०-१, बालोद,  
जिला बालोद (छ०ग०)